अध्याय- XVII : खान मंत्रालय

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण

17.1 सेवा प्रभारों की वसूली न होना

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जयपुर द्वारा बकाया राशि वसूल करने के लिए तंत्राविधि तैयार करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹1.67 करोड़ के सेवा प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), देश में भू-विज्ञान आंकड़ो को तैयार करने तथा अनुरक्षण करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, जीएसआई प्रभारों की अनुसूची (एमओसी) के आधार पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालयों को सेवाएं प्रदान करता है। एसओसी समय-समय पर 1975, 1981, 1992 एवं 2001 में संशोधित की गई थी। 2001 की वर्तमान एसओसी अप्रैल 2001 से लागू है। एसओसी के आधार पर जीएसआई तथा सबंधित विभाग/परियोजना के बीच एक संज्ञापन-पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित होता है तथा प्रभार तदनुसार वसूल किए जाते हैं। जीएसआई और उसके क्लाइन्ट के बीच हुए एमओयू की शर्तों के अनुसार स्थल पर वास्तविक जांच, जांच की कुल अनुमानित लागत का 50% प्राप्त करने पर आरंभ की जानी थी जिसे अग्रिम के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रिय जांच पूर्ण होने के पश्चात् रिपोर्ट को 60 दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाना था। जीएसआई ने क्लाइन्ट विभाग को अंतिम बिल प्रस्तुत करना था तथा अंतिम बिल के अनुसार समस्त लागत वसूल करने के पश्चात् जांच की रिपोर्ट क्लाइन्ट विभाग को दी जानी थी। इस प्रकार जीएसआई का क्लाइन्ट विभाग को अंतिम बिल प्रस्तुत करने तथा रिपोर्ट सौंपने से पहले समस्त लागत वसूल करने का उत्तरदायित्व था। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली-2005 के नियम 12 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि कोई सरकारी राशियां पर्याप्त कारणों के बिना लम्बित नहीं रखी जाएंगी।

अभिलेखों की संवीक्षा करने पर वर्ष 2014-15 की अवधि के लिए अपर महानिदेशक पश्चिम जोन जीएसआई, जयपुर कार्यालय की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकट हुआ कि जीएसआई ने 1978-79 से 2013-14 की अवधि के दौरान

क्लाइन्ट विभागों के साथ सर्वेक्षण कार्य हेतु कई एमओयू निष्पादित किए। तथापि, एमओयू के अनुसार किए गए सर्वेक्षण कार्य के प्रति ₹1.67 करोड़ के सेवा प्रभार बकाया थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि बकाया सेवा प्रभारों की वसूली हेतु संबंधित विभागों को न तो समय पर अनुस्मारक जारी किए गए और न ही मामला उच्च अधिकारियों के साथ उठाया गया। इस प्रकार, अंतिम बिलों को समयबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में जीएसआई की ढिलाई के कारण तथा क्लाइन्ट विभागों के उच्च अधिकारियों साथ मामला आगे बढ़ाने में कमी के कारण ₹1.67 करोड़ की बकाया राशि का संचय हो गया था (31 मार्च 2016 को)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/अगस्त 2016) कि:

- कार्य अग्रिम प्राप्त होने पर ही आरंभ किया गया था तथा किए गए कार्य के ब्यौरे तकनीकी विंग द्वारा उपलब्ध कराने तथा विशेष परियोजना के एमओयू की प्रति बजट अनुभाग में देने के बाद बजट अनुभाग द्वारा बिल तैयार किए गए थे।

- अधिकतर बिल समय पर प्रस्तुत किए गए थे तथा प्रचलित प्रभारों की अनुसूची के अनुसार तैयार किए गए थे तथा अंतिम बिल परियोजना के समापन के पश्चात् ही भेजे गए थे। तथापि, कुछ परियोजनाओं में प्रशासनिक कारणों से विलम्ब हुआ था।

- वसूली न होने के कारणों में से एक कारण यह था कि सभी परियोजनाएं पुरानी थी तथा बन्द हो चुकी हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- सूचित मामलों में बिलों के जारी करने तथा उनके अनुवर्तन में कमजोर आंतरिक नियंत्रण के कारण सेवा प्रभार समय पर वसूल नहीं किए जा सके। विभाग ने अग्रिम रूप में शुल्क के संग्रहण तथा कार्य-समाप्ति पर शुल्क की शीघ्र वसूली हेतु कोई तंत्रविधि तैयार नहीं की थी।

- तकनीकी विंग तथा बजट अनुभाग के बीच समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप बिलों को जारी करने में विलंब हुआ।

- सभी क्लाइन्ट सरकारी विभाग ही थे जहाँ पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही कार्य सौंपे गए है तथा इस प्रकार की वसूली न होने के लिए कोई कारण नहीं होने चाहिए।

इस प्रकार, राशियों की तीव्र वसूली के लिए एक प्रभावशाली प्रक्रिया हेतु कोई उपाय करने में विफल रहने के कारण 31 मार्च 2016 तक ₹1.67 करोड़ की बकाया राशि का सचंयन हुआ।

अगस्त 2016 में मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई थी; उनका उत्तर जनवरी 2017 तक प्रतीक्षित था।